उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
1–राज विहार चकराता रोड, देहरादून।

पत्रांक 91 /निगम मुख्यालय/लेखा–2013/ दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

समस्त सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून/काठगोदाम/टनकपुर मण्डल।

विषय– बुकिंग एजेन्टों द्वारा बिकीत टिकटों की ई0टी0एम0 मशीनों में पृविष्टि एवं धन जमा कराये जाने सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक लेखाधिकारी (आडिट) के माध्यम से देहरादून ब डिपो के बुकिंग एजेण्टों द्वारा बिकी किये गये टिकटों की संबन्धित मार्ग पत्रों से जांच करायी गयी। जांच किये जाने पर निम्न अनियमितताएं पायी गयी।

1– परिचालको द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि के टिकट वाहन के अन्य यात्रियों को टिकट बिकित करने के उपरान्त के विभिन्न कम एवं विभिन्न समय– अन्तराल के टिकट संलग्न किये जा रहे है। जिसके चलते परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट धन निगम कोष में जमा न कर निगम को वित्तीय हानि पंहुचाया जाना संभावित है

2– परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि के टिकट मार्ग पत्र के साथ संलग्न ही नही किये जा रहे है। जिस अनुसार परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्टों से प्राप्त धन निगम कोष में जमा न कराया जाना संभावित है।

3– परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्टों से प्राप्त धनराशि एवं टिकट से कम संख्या में टिकट संलग्न किये जा रहे है। परिचालकों द्वारा कम कम संख्या के टिकट संलग्न कर अन्तर टिकट धन निगम कोष में जमा न किया जाना संभावित है।

4– परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त टिकट धनराशि से कम के टिकट संलग्न किये गये। जिस अनुसार परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि एवं संलग्न टिकट की अन्तर धनराशि निगम कोष में जमा न किया जाना संभावित है।

5– मार्ग पत्र पर संचालित वाहन के कुछ परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धन के टिकट न तो ब्लैक बुक से टिकट काटकर मार्ग पत्र पर प्रविष्टि की गयी, न ही मशीन के माध्यम से बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि के टिकट काटकर मार्गपत्र के साथ संलग्न किये गये, जिस अनुसार परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि निगम कोष में जमा न किया जाना संभावित है।

6– मार्गपत्र पर संचालित वाहन के कुछ परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि के टिकट ब्लैंक बुक से नही काटे जाते है, ना ही उनकी पृविष्टि मार्गपत्र में की जाती है, तथा सीधे मशीन के माध्यम से टिकट काटकर धन जमा कराया जा रहा है, बुकिंग एजेण्ट के यात्रियों का टिकट न बनाया जाना एवं मार्गपत्र पर पृविष्टि न किये जाने के चलते एजेण्ट से प्राप्त धन निगम कोष मे जमा होना संदिग्ध है।

7– मार्ग पत्र पर संचालित वाहन के कुछ परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्टो से प्राप्त धनराशि के टिकट ब्लैक बुक से काटकर उनकी पृविष्ठी तो मार्गपत्र में की गयी, किन्तु टिकट की केवल मूल प्रति मार्गपत्र के साथ संलग्न की जा रही है। तथा यात्री प्रति टिकट मार्ग पत्र के साथ संलग्न नही किये जा रहे है। । चूंकि बुकिंग एजेण्ट द्वारा यात्रियों को टिकट पूर्व में प्राप्त है, के अनुसार परिचालक को एजुण्ट बुकिंग से सम्बन्धित धनराशि के टिकटों की दोनों प्रति मार्गपत्र के साथ संलग्न न किया जाना संदिग्ध स्थिति एवं भ्रष्टाचार सम्भावित है।

8– कुछ परिचालकों द्वारा नियमित रूप से मार्गपत्र पर वाहन परिचालित किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में वाहन का परिचालक ईटीएम मशीन के माध्यम से किया जाना आदेशित है, मशीन के खराब होने पर ही मार्गपत्र वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाना है। मशीनों के उपलब्ध होने पर भी नियमित रूप से मार्गपत्र का प्रयोग होने के चलते सम्बन्धित अनियमिततां/भ्रष्टाचार सम्भावित है

9– मागपत्रों में पायी गयी, अनियमिततायें वेबिलों के चैकिंग लिपिकों के चैक किये जाने के उपरान्त पायी गयी, जिस अनुसार चैकिंग लिपिकों द्वारा सजगता पूर्वक वेबिल चैक नही किये गये जा रहे है जिसके चलते भी परिचालक सम्बन्धित संभावित अनियमितता/भ्रष्टाचार करने मे सफल होना संभावित है ।

10– डिपो स्तर पर डिपो के स0म0प्र0/डिपो लेखाकार/केन्द्र प्रभारी/यातायात निरीक्षकों को 10 प्रतिशत वे बिल चैकिंग किया जाना आदेशित है। किन्तु किसी भी स्तर से 10 प्रतिशत चैकिंग में उपरोक्त पायी गयी अनियमिततओं के दृष्टिगत चैकिंग नही की गयी। यदि उक्त के दृष्टिगत भी चैकिंग की गयी होती तो पायी गयी अनियमितताओं की संभावना न रहती।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है--

1– वाहन के प्रस्थान के समय से एक घंटा पूर्व परिचालक द्वारा बुकिंग एजेण्ट से बुक किये गये यात्रियो का विवरण प्रपत्र एवं सम्बन्धित धनराशि प्राप्त की जायेगी।

2– ई टिकटिंग कक्ष में तैनात लिपिक द्वारा परिचालक को मार्ग की मशीन निर्गत कर सर्वप्रथम परिचालक द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धनराशि के टिकट मशीन से बनवायेंगे तथा एक पृथक पंजिका कालम वार खोलकर बुकिंग एजेण्ट द्वारा बुक किये गये यात्रियों की संख्या एवं धनराशि का पूर्ण विवरण उक्त पंजिका में अंकित कर हस्तक्षारित किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी /डिपो लेखाकार दैनिक रूप से उक्त पंजिका का पर्यवेक्षण करेंगे, तथा उक्त का मिलान बुकिंग एजेण्ट की पंजिका से करते हुए यह सुनिश्चत करेंगे, कि बुकिंग एजेण्ट द्वारा बुक किये गये समस्त यात्रियों के टिकटों की पृविष्टि परिचालक द्वारा मशीन में कर सम्बन्धित धन निगम कोष में जमा करा दिया गया है।

3 परिचालक द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धन के विरूद्व मशीन से बनाये गये समस्त टिकट सम्बन्धित वेबिल के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

4–यदि परिचालक द्वारा वाहन का परिचालन मार्ग पत्र पर किया जा रहा है, तो परिचालक द्वारा एजेण्ट बुकिंग से प्राप्त धनराशि के टिकट अपनी ब्लैंक बुक से काट कर उक्त की पृविष्टि मार्गपत्र में करते हुए सम्बन्धित टिकटों की मूल प्रति तथा यात्री प्रति दोनों प्रतिया मार्गपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जायेंगी। तथा

–

मार्गपत्र इश्यू करने वाले लिपिक यह सुनिश्चित करेंगें, कि परिचालक द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धन के विरूद्व समस्त टिकट बना कर मार्गपत्र के साथ संलग्न कर दिया गये है, तथा उक्त की पृविष्टि सम्बन्धित पंजिका मे अंकित करेंगे।

5– प्रत्येक डिपो को प्रयाप्त मात्रा में ई0टी0एम0 मशीन उपलब्ध है। परिचालकों द्वारा वाहनों का परिचालन शत प्रतिशत ई0टी0एम0 मशीन के माध्यम से ही किया जायेगा। मार्ग पर मशीन के खराब होने पर ही मार्गपत्र वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जा सकेगा। मशीनों की अनुपलब्धता/ विशेष परिस्थिति पर ही परिचालक द्वारा मार्ग पत्र पर वाहन का परिचालन किया जायेगा। डिपो के केन्द्र प्रभारी यह प्रमाणित/ पुष्टि करेगें की डिपो को मशीन अनुपलब्ध/विशेष परिस्थितिवश ही परिचालक को मार्गपत्र पर भेजा गया है।

6– परिचालकों के मार्ग से वापिस आने पर चैंकिग लिपिको द्वारा मार्गपत्र चैक करते हुए प्रत्येक अवस्था में यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि परिचालक द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त धन की पृविष्टि मार्ग पत्र में कर दी गयी है, तथा सम्बन्धित धन निग मकोष में जमा करा दिया गया है।

7– डिपो के सहायक महाप्रबन्धक/लेखाकार/केन्द्र प्रभारी/यातायात निरीक्षक अपने–2 10 प्रतिशत मार्गपत्र चैकिंग के दौरान बिन्दु विशेष के दृष्टिगत चैक करेंगे, कि परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त समस्त धन निगम कोष में जमा है।

8– डिपो निरीक्षण/डिपो आडिट के दौरान उक्त बिन्दु को विशेष बिन्दु के रूप में जांच में शामिल करते हुए यह सुनिश्चित किया जायें, कि परिचालकों द्वारा बुकिंग एजेण्ट से प्राप्त समस्त धन निगम कोष में जमा कराया जा रहा है। विपरीत परिसिथति पाये जाने पर उक्त को अपनी जांच/आडिट रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख करें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। इस परिपत्र के जारी होने के उपरान्त यदि पुनः कोई विपरीत परिस्थिति पायी जाती है, तो उक्त के प्रति डिपो के सहायक महाप्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तारदायी माने जायेंगें, तथा सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(पंकज तिवारी)
वित्त नियन्त्रक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महाप्रबन्धक(कार्मिक/संचालन/तकनीकी) निगम मुख्यालय उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
2– उपमहाप्रबन्धक(तकनीकी) निगम मुख्यालय उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
3– मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन) देहरादून/नैनीताल/टनकपुर मण्डल।
4– सहायक महाप्रबन्धक(वित्त) मुख्यालय/देहरादून/नैनीताल/टनकपुर मण्डल।
5– सहायक लेखाधिकारी(आडिट) मुख्यालय/देहरादून/नैनीताल/टनकपुर मण्डल।

वित्त नियन्त्रक